



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 20298 वर्ष 1992

उपेंद्र ए कुमार

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

तहसीलदार

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के लिए : अंकित कुमार पाल, प्रवीण कुमार
अधिवक्ता सिंह, एस.एन. सिंह, सत्यम सिंह

प्रतिवादी(गण) के लिए अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के मौखिक अनुरोध पर, उन्हें जिला मजिस्ट्रेट, फर्रुखाबाद को प्रतिवादी संख्या 3 के रूप में पक्षकार बनाने की अनुमति दी जाती है।
2. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अंकित कुमार पाल और राज्य के लिए विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री एस.के. पाल को सुना।
3. चूंकि दोनों पक्षों के बीच प्रति-शपथपत्र व प्रत्युत्तर-शपथपत्र का आदान-प्रदान हो चुका है, इसलिए पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के अनुरोध पर, रिट याचिका पर आरंभिक स्तर पर निर्णय लिया जा रहा है।
4. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि रिट याचिकाकर्ता को वर्ष 1989 में किसानों से राजस्व एकत्र करने के लिए सामयिक संग्रह अमीन के रूप में नियुक्त किया गया था। हालांकि, रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, वह नियमितीकरण/स्थायीकरण का हकदार था, लेकिन उसकी सेवाएं मौखिक रूप से समाप्त कर दी गईं। उसने निम्नलिखित राहतों की मांग करते हुए यह रिट याचिका दायर की है।



"ए) तहसीलदार के कार्यालय से अभिलेख मंगवाने और याचिकाकर्ता की सेवा समाप्ति के आदेश को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण प्रकृति का निर्देश, आदेश या रिट जारी करें, यदि कोई हो।"

बी) तहसीलदार- कायगंज, जिला फर्रुखाबाद को याचिकाकर्ता को उसके पद पर काम करने की अनुमति देने और याचिकाकर्ता की सेवा को नियमित करने का निर्देश देने हेतु परमादेश के रूप में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए।

सी) इस माननीय न्यायालय द्वारा, मामले की परिस्थितियों में उचित समझते हुए, किसी भी प्रकृति का कोई अन्य रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जा सकता है।

डी) याचिकाकर्ता को याचिका की लागत प्रदान की जाए।"

5. दिनांक 08.06.1992 को एक अंतरिम आदेश पारित किया गया था, जो इस प्रकार है:

"स्वीकार किया जाए और रिट याचिका संख्या 148 वर्ष 1988 और 2493 वर्ष 1991 तथा अन्य इसी प्रकार की रिट याचिकाओं के साथ जोड़ा जाए।"

इस बीच, विपक्षी पक्ष कृत्रिम अंतराल बनाकर याचिकाकर्ता की सेवाएं समाप्त नहीं करेंगे और परिणामस्वरूप उसे लिखने की अनुमति देंगे और कानून के अनुसार वेतन और भत्ते का भुगतान करेंगे।"

6. इसके बाद, वर्तमान रिट याचिका दिनांक 27.02.2009 को चूक के कारण खारिज कर दी गई। रिट याचिकाकर्ता द्वारा पुनर्स्थापना के लिए आवेदन किया गया, जिसे दिनांक 19.05.2025 को स्वीकार कर लिया गया और निम्नलिखित आदेश पारित किए गए।

"संदर्भ : सिविल विविध विलंब क्षमादान आवेदन संख्या- 1 वर्ष 2021

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

आदेश वापसी आवेदन दाखिल करने में देरी के लिए बताए गए कारण पर्याप्त हैं। वापसी आवेदन दाखिल करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है।

विलंब क्षमा के लिए आवेदन स्वीकार किया जाता है।

सिविल विविध पुनर्स्थापना आवेदन संख्या- 2 वर्ष 2021 पर आदेश

जिस तिथि को याचिका कार्यवाही के अभाव में खारिज की जाती है, उस तिथि पर अधिवक्ता की अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अनुपस्थिति के लिए दिए गए स्पष्टीकरण को पर्याप्त माना जाता है और तदनुसार, पुनर्स्थापना आवेदन स्वीकार किया जाता है।

याचिका को कार्यवाही न करने के कारण खारिज करने का आदेश दिनांक 27 फरवरी, 2009 वापस लिया जाता है।

याचिका को उसके मूल क्रमांक पर उसी प्रस्थिति के साथ बहाल किया जाता है जो आज वापस लिए गए आदेश के पारित होने से पहले थी।

अंतिम निस्तारण के लिए 23 जुलाई, 2025 को सूचीबद्ध करें।"

7. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, जिला मजिस्ट्रेट के आदेश दिनांक 08.06.1992 के अनुसार उसकी सेवाएं 01.07.1992 से नियमित हो गईं और उन्हें 09.04.2022 को राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति दी गई तथा वे 30.06.2024 को सेवानिवृत्त हुए। रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, उन्हें अभी तक पेंशन संबंधी लाभ का भुगतान नहीं किया गया है।

8. श्री एस.के. पाल, विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि पेंशन संबंधी लाभ प्रदान करने के लिए रिट याचिकाकर्ता के दावे पर प्रथम दृष्टया जिला मजिस्ट्रेट, फर्रुखाबाद द्वारा निर्णय लिया जाना आवश्यक है।

9. अधिवक्ताओं के माध्यम से किए गए ऐसे निवेदन को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि रिट याचिकाकर्ता की सेवाएं नियमित हो गई थीं और उन्हें पदोन्नति भी मिल गई थी, यद्यपि याचिका चूक रूप से खारिज कर दी गई थी और इसे मूल संख्या में बहाल करते हुए उसी स्थिति में बहाल किया गया था जो याचिका के चूक रूप से खारिज होने से पहले थी, इसलिए रिट याचिकाकर्ता को अपनी शिकायतों के निवारण के लिए जिला मजिस्ट्रेट, फर्रुखाबाद से संपर्क करना चाहिए।

10. तदनुसार, रिट याचिका का निस्तारण किया गया, रिट याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति सहित एक विस्तृत अभ्यावेदन जिला मजिस्ट्रेट, फर्रुखाबाद के समक्ष प्रस्तुत करे, जो रिट याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करेगा और तीन महीने की अवधि के भीतर उचित आदेश पारित करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

6 जनवरी 2026

राजेश

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।